

बिलासपुर

गुरुवार 2 जुलाई 2026

आषाढ़, कृष्ण पक्ष तृतीया
वर्ष : 26, अंक: 101
पुष्ट : 10+6 =16 मूल्य : 5.00***

मौसम

अधि. 31.8
न्यून. 26.8



haribhoomi.com

ग्रेडिंग रुकने की वजह-किन बिंदुओं में हो मूल्यांकन, यही तय नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नैक ग्रेडिंग में होना है बदलाव

छवि वर्मा ►► रायपुर

देशभर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नैक ग्रेडिंग रुक गई है। इससे छत्तीसगढ़ के भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शामिल हैं। इसका कारण शैक्षणिक संस्थानों की लापरवाही नहीं बल्कि यूजीसी द्वारा अब तक नैक ग्रेडिंग का क्षेत्र निर्धारित नहीं किया जाना है। दरअसल, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत नैक ग्रेडिंग के लिए होने वाली मूल्यांकन पद्धति में बदलाव किया जाना है।

बदलाव संबंधित यह योजना लंबे समय से प्रस्तावित है। अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। अब तक सात बिंदुओं में नैक ग्रेडिंग होती रही है। नई पद्धति में इसे बढ़ाकर 10 किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, प्राचीन बिंदुओं को समाप्त नहीं किया जाएगा बल्कि इसे ही विस्तार दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष नैक मूल्यांकन उस वक्त विवादों में आ गया था, जब निरीक्षण दल द्वारा रिश्तत लेकर संस्थान को अच्छे अंक प्रदान करने ►►शेष पेज 6 पर

देशभर में रुकी नैक ग्रेडिंग, वेटिंग में छग के कॉलेज भी, तीन माह पुरानी रैंक को एक्सटेंशन



पुरानी पद्धति में 7 क्षेत्र निर्धारित इन्हें बढ़ाकर किया जाएगा 10



समाचार ही नहीं, विचार भी

पुरानी पद्धति में इन बिंदुओं के अंतर्गत मूल्यांकन

1. पाठ्यचर्या के पहलू
2. अध्यापन-अधिगम और मूल्यांकन
3. अनुसंधान, नवाचार और विस्तार
4. बुनियादी ढांचा और शिक्षण संसाधन
5. छात्र सहायता और प्रगति
6. शासन, नेतृत्व और प्रबंधन
7. सांस्थानिक मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं

अवधि खत्म हुई तो अतिरिक्त समय

यूजीसी द्वारा तीन माह पूर्व ऑनलाइन सर्वे किया गया था। इस सर्वे में उन महाविद्यालयों ने हिस्सा लिया था जिनकी नैक ग्रेडिंग या तो समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है। इस सर्वे के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि दोनों में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहतर साबित होगी। इस सर्वे के बाद महाविद्यालयों को उम्मीद थी कि अब उनके संस्थानों की ग्रेडिंग हो सकेगी, लेकिन अब तक किसी तरह की प्रगति इसमें नहीं हो सकी है।

हमारी तैयारी पूर्ण

महाविद्यालय स्तर पर हमने अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। नैक द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाने के पश्चात हम आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- प्रो. अमिताभ बज्राजी, प्राचार्य, विज्ञान महाविद्यालय

अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू

जम्मू से आज रवाना होगा पहला जत्था



उपराज्यपाल जम्मू से पहले जत्थे को करेंगे रवाना

संधू ने किया आकर्षित

श्रद्धालुओं में उत्तर प्रदेश निवासी संधू राम किशन भी शामिल थे, जिनका अनेखा पहनावा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा था। सिर और सीने पर रुबन के साथ विभिन्न देशों के सिक्के लगाए हुए किशन ने कहा कि उनका यह पहनावा भगवान शिव के प्रति उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। किशन ने कहा, रुद्र के बिना कुछ नहीं होता। श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने 14 वर्षों तक मौन व्रत रखा और वर्ष 2006 से यह इस गुफा के दर्शन के लिए आ रहे हैं।

वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण बुधवार को शुरू हो गया। हालांकि इससे एक दिन पहले ही सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु निर्धारित केंद्रों पर जमा हो गए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गुरुवार को यहां भगवती नगर यात्री निवास आधार शिविर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को रवाना करेंगे। अमरनाथ गुफा मंदिर की 57 दिनों की यह यात्रा तीन जुलाई से शुरू होने वाली है। यह यात्रा अनंतनाग जिले के पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवा-पहलगांग मार्ग और गोंदरबल जिले के 14 किलोमीटर लंबे लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाले बालटाल मार्ग से होगी।



खबर संक्षेप

‘काला हिरण’ फिल्म

पर 6 को सुनवाई

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेता सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई के लिए छह जुलाई की तारीख तय की, जिसमें फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लीगल’ की रिलीज रोकने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि फिल्म को अभी तक रिलीज के वास्ते प्रमाणपत्र के लिये प्रमाणन बोर्ड के पास नहीं भेजा गया है।

विदेश सचिव मिसरी का एक साल सेवा विस्तार नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी का कार्यकाल बुधवार को एक साल के लिए बढ़ाकर अगले साल 14 जुलाई तक कर दिया गया। चीन मामलों के जानकार मिसरी को जून 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 14 जुलाई 2027 तक कार्यकाल बढ़ाने का अनुमति दे दी है। इस नियम में रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद भी सेवा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है।

विदेश सचिव मिसरी का एक साल सेवा विस्तार

नई दिल्ली। विदेश सचिव विक्रम मिसरी का कार्यकाल बुधवार को एक साल के लिए बढ़ाकर अगले साल 14 जुलाई तक कर दिया गया। चीन मामलों के जानकार मिसरी को जून 2024 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 14 जुलाई 2027 तक कार्यकाल बढ़ाने का अनुमति दे दी है। इस नियम में रक्षा सचिव, विदेश सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और कुछ अन्य अधिकारियों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद भी सेवा का कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है।

13 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त, 6 गिरफ्तार

गुवाहाटी। बराक घाटी क्षेत्र से लगभग 13 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए और छह संदिग्ध तस्करों को गिरफ्तार किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि श्रीभूमि पुलिस और कछार पुलिस ने 49,800 याबा गोलियां और 535 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इनकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। साथ ही छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ राज्य की लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। उन्होंने (तस्करों ने) दावा किया कि यह उनका कारोबार है।

श्रीभूमि पुलिस और कछार पुलिस ने 49,800 याबा गोलियां और 535 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इनकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। साथ ही छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ राज्य की लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। उन्होंने (तस्करों ने) दावा किया कि यह उनका कारोबार है।

श्रीभूमि पुलिस और कछार पुलिस ने 49,800 याबा गोलियां और 535 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इनकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। साथ ही छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ राज्य की लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। उन्होंने (तस्करों ने) दावा किया कि यह उनका कारोबार है।

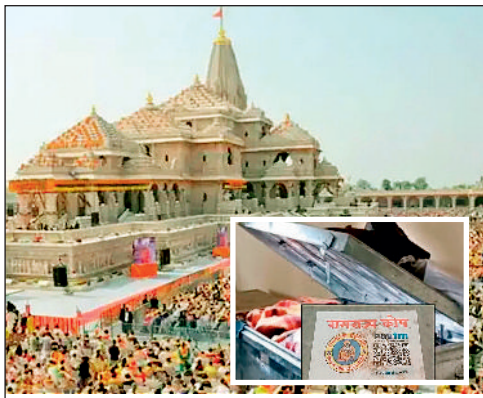
श्रीभूमि पुलिस और कछार पुलिस ने 49,800 याबा गोलियां और 535 ग्राम हेरोइन बरामद की है। इनकी कीमत लगभग 13 करोड़ रुपए है। साथ ही छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मादक पदार्थों के खतरे के खिलाफ राज्य की लड़ाई पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। उन्होंने (तस्करों ने) दावा किया कि यह उनका कारोबार है।

हरिभूमि न्यूज़ ►► अयोध्या

राम मंदिर वित्तीय अनियमितता मामले में एक आरोपी के ठिकाने से पुलिस ने एक बक्सा बरामद किया है, जहां ‘रामराज्य कोष’ लिखा है, जिसपर ‘रामराज्य कोष’ लिखा है और क्यू.आर. कोड चिपका हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने अयोध्या के एक योग केंद्र से यह बक्सा बरामद किया है, जहां आ रो पी अ वि ना श शुक्ला पिछले 10 साल से रह रहा था। केंद्र में तैनात योग प्रशिक्षक सुंदर लाल ने बताया कि पुलिस ने पांच जून को छापेमारी करके सीसीटीवी फुटेज की जांच की थी। उन्होंने बताया कि इसका वीडियो अब वायरल हुआ है। लाल ने कहा, पुलिस अविनाश को साथ लेकर आई थी और हमें उस जगह से बाहर निकाल दिया जहां वह रह रहा था। पुलिस के जाने के बाद हमें पता चला कि ►►शेष पेज 6 पर

ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजर

चंदा चोरी विवाद के बीच अब ट्रस्ट की बैठक पर सबकी नजर है। बैठक में इस्तीफा के अलावा ट्रस्ट की आगे की रणनीति और संभावित बदलावों पर भी चर्चा हो सकती है। चंपत राय, जो विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, ट्रस्ट के अहम पदाधिकारी रहे हैं। यदि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार हो जाते हैं तो ट्रस्ट में तीन पद खाली हो जाएंगे। ट्रस्ट के सदस्य बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद एक पद करीब एक साल से खाली है।



400 निजी सुरक्षाकर्मी भी जांच के घेरे में राम मंदिर परिसर में तैनात 400 निजी सुरक्षाकर्मी भी जांच के घेरे में हैं। उनकी इस्टीमेट, रोस्टर, सीसीटीवी, एंटी-एक्जिट रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा जिस निजी सुरक्षा कंपनी के पास था, वह बिहार के पूर्व सांसद की है। ट्रस्ट इस पर हर महीने 1 करोड़ खर्च करता था। यानी निजी सुरक्षा पर सालाना 12 करोड़ खर्च किए जा रहे थे।

किससे क्या मिला ?

लवकुश मिश्रा 14,25000 अनुकल्प मिश्रा 16,82000 अविनाश शुक्ला 20,39000 करुणेश पांडे 18,0700 रामशंकर मिश्रा 7,32000 रामशंकर यादव टिब्लू के पास से एक लाख

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा

बस और ट्रक की टक्कर से आग, पांच जिंदा जले

हरिभूमि न्यूज़ ►► जयपुर

राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बुधवार तड़के एक बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य घायल हो गए। यह हादसा कोलवा थाना क्षेत्र में धनावड़ा के पास हुआ। दौसा के पुलिस अधीक्षक पीयूष दीक्षित ने बताया कि हादसे में पांच लोग जिंदा जल गए, जबकि दो की मौत सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई। एक अन्य व्यक्ति ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

यात्रियों में अफरा-तफरी

उत्तराखंड के ऋषिकेश से इंदौर जा रही हंस ट्रेवल्स की बस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद बस और ट्रक दोनों में आग लग गई, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकत विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तथा राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। बाद में आग पर काबू पा लिया गया।

हरिभूमि न्यूज़ ►► पुणे

पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। शहर के पास लोहागढ़ किले से मंगेतर केतन अग्रवाल को कथित तौर पर खाई में धक्का देने से ठीक पहले 20 वर्षीय सिया गोयल ने उसका मोबाइल फोन अपने पास ले लिया था। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया ने फोन अपने पास रहने के दौरान कोई अहम सबूत मिटाए थे। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद सिया ने केतन का मोबाइल उसके एक रिश्तेदार को लौटा दिया था। जांच अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाया जा रहा है कि फोन से कोई डेटा या अन्य सबूत तो नहीं हटाए गए।

अब सबूत मिताने के एंगल से जांच



18 जून को हुई थी केतन की हत्या

आपको बता दें कि 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले पर सिया गोयल (20) और उसके कथित प्रेमी केतन चौधरी (22) ने केतन को कथित रूप से एक खाई में धक्का दे दिया था। केतन और सिया की सगाई इसी साल फरवरी में हुई थी और शादी नवंबर में होने वाली थी। कथित हत्या के बाद सिया और केतन को गिरफ्तार कर लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तय किए आय की गणना के लिए दिशा-निर्देश

आयकर रिटर्न से तय होगी हादसे में पीड़ितों की आय

हरिभूमि न्यूज़ ►► नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में बुधवार को दिशा-निर्देश तय किए कि अदालतें मृत लोगों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न (आईटीआर) के आधार पर कैसे करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए वार्षिक आय दिखाने के लिए केवल पिछले वर्ष की आईटीआर पर्याप्त होगी, जबकि स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के मामले में, पिछले तीन वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ के रूप में माना जाना चाहिए। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वार्षिक आय की गणना के लिए कोई निश्चित सूत्र नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से आईटीआर ►►शेष पेज 6 पर



हाल ही में पदोन्नति या वेतन बढ़ा हो तो क्या होगा ?

हालांकि, यदि दुर्घटना से ठीक पहले किसी व्यक्ति को पदोन्नति या वेतन वृद्धि मिली हो और वह नवीनतम आईटीआर में पूरी तरह न दिखी हो, तो अदालतें पदोन्नति पत्र और अन्य वित्तीय दस्तावेज भी देख सकती हैं। स्व-रोजगार और व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए पीठ ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के आईटीआर में दिखाई गई आय का औसत सामान्य रूप से वार्षिक आय तय करने का आधार होना चाहिए, क्योंकि इनकी आय बदलती रहती है।

किसके लिए कैसे तय होगा

1. वेतनभोगी: आय निर्धारण के लिए पिछले एक साल का आयकर रिटर्न (आईटीआर) ही पर्याप्त माना जाएगा।
2. स्वरोजगार और व्यवसायी: आय तय करने के लिए दुर्घटना से ठीक पहले के तीन वर्षों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) का औसत निकाला जाएगा।
3. भविष्य की सेवानिवृत्ति: आय में भविष्य की आय वृद्धि को भी जोड़ा जाएगा। अगर पेंडिंग 40 वर्ष से कम उम्र का स्वस्थ कर्मचारी था, तो आय में 50% और 40-50 वर्ष के बीच 30% की वृद्धि जोड़ी जाएगी।

Dr. Juneja's®

पेट सफा

Natural Laxative GRANULES & TABLETS

कब्ज़ • गैस

पेट सफा तो हर रोग दफा

एसिडिटी

24x7 Helpline 91197 88888
www.petsaffa.com
Available at all medical & general stores

SELECTED
NO.1 BRAND
INDIA 2015

दिविसा हर्बल केयर प्रस्तुत करते हैं पेट सफा आयुर्वेदिक ग्रेन्यूल्स एवं टेबलेट्स, जिसे सेवन करना है बिल्कुल आसान, और परिणाम है पहले दिन से

Clinically Tested*
For efficacy and safety.



इसकी आदत भी नहीं बनती

Divisa

www.divisastore.com

ये है ब्रांडेड कपड़ों का कब्रिस्तान! फेंके जाते हैं महंगे-महंगे कपड़े

सैंटियागो। चिली के अटाकामा को दुनिया के सबसे सूखे रेगिस्तान में एक माना जाता है। यहां जीवन पासिबल नहीं है। कोई भी यहां नहीं रहता। अगर कुछ लोग रहते भी हैं तो उनकी लाइफ बड़ी मुश्किल है। लेकिन, इस रेगिस्तान में पहाड़ों जैसी ऊंचाई तक ब्रांडेड कपड़ों के ढेर लगे हुए हैं। ये कपड़े कभी किसी ने पहने तक नहीं हैं। फिर क्यों यहां इतने कपड़े पड़े हैं?

दरअसल, हर साल इकीके बंदरगाह से 59,000 टन नए कपड़े

दुनिया की विडंबना

दूसरी तरफ पूरी दुनिया में करीब 700 मिलियन (70 करोड़) लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त कपड़े तक नहीं हैं। अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई इलाकों में मां-बाप को तय करना पड़ता है कि बच्चों को खाना खिलाएं या जूते पहनाएं। यह समस्या फास्ट फैशन इंडस्ट्री की वजह से बढ़ी है। बांड हर सीजन नई डिजाइन लाते हैं और पुरानी स्टॉक सस्ते में या बिना बिदे डंप कर देते हैं। चिली इस डंपिंग का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है, क्योंकि यहां सस्ते में लैवल पकड़ है।

गर्मी से कई बार कपड़ों में लग जाती है आग

भारत भी फास्ट फैशन मार्केट में तेजी से बढ़ रहा

भारत भी फास्ट फैशन मार्केट में तेजी से बढ़ रहा है। हमें भी इस बर्बादी से बचना होगा। रिसाइक्लिंग, सेकंड हैंड मार्केट को बढ़ावा और जिम्मेदार खपत पर ध्यान देना जरूरी है। अटाकामा का यह कपड़ों का कब्रिस्तान इसानी बर्बादी और लालच का जीवंत प्रमाण है। हमें उत्पादन और खपत के तरीके बदलने होंगे, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ कचरे के ढेर विरासत में पाएंगी।

पर्यावरण को कितना नुकसान?

ये कपड़े रेगिस्तान की मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। सिंथेटिक कपड़ों से निकलने वाले केमिकल पानी और मिट्टी दोनों को खराब कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में इतनी बड़ी बर्बादी पर्यावरण के लिए घातक है। विशेषज्ञ कहते हैं कि समस्या प्रोडक्शन में नहीं, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में है। दुनिया भर में जहां जरूरत है, वहां कपड़े पहुंचाने के लिए बेहतर सफाई चैन, ट्रान्सपोर्ट ट्रैकिंग और रिसाइक्लिंग सिस्टम बनाना होगा। कुछ संगठन 'पीस थू टू डे' जैसे मॉडल पर काम कर रहे हैं, जो सरप्लस कपड़ों को जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये तस्वीरें वायरल हुईं तो लोग हैरान रह गए। कई यूजर्स ने लिखा, 'एक तरफ पहाड़ भर कपड़े सड़ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग नंगे घूम रहे हैं'। फास्ट फैशन बाइंड्स पर सवाल उठ रहे हैं। ये भारत के लिए भी सबक है।

मिलाई निगम कमिश्नर को हटाने की मांग वाली याचिका खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने मिलाई नगर निगम के आयुक्त (कमिश्नर) राजीव पांडेय को पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बहुमत का होना अपनी जगह है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करना शासन की मूल शर्त है। बिना पूर्व नोटिस के सामान्य सभा में लाया गया कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव शुरूआत से ही अवैध था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा कि केवल बहुमत के आधार पर कानून और निर्धारित प्रक्रिया की अनदेखी नहीं की जा सकती। जब तक कोई प्रस्ताव कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पारित नहीं होता, तब तक राज्य सरकार को उसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दरअसल मिलाई नगर निगम के पार्षद संदीप निरंकारी, आदित्य सिंह समेत 32 निर्वाचित पार्षदों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आयुक्त राजीव पांडेय मेयर-इन-कार्सिल और सामान्य सभा की मंजूरी के बिना वित्तीय और प्रशासनिक फैसले ले रहे हैं। इसी आधार पर उन्हें पद से हटाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 25 मार्च 2026 को आयोजित विशेष बजट सत्र की सामान्य सभा में छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 54 के तहत नती-चौथाई से ज्यादा बहुमत से आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बावजूद राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। पार्षदों ने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून का उल्लंघन बताया।

पुराना बस स्टैंड के पास अवैध निर्माण हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने कहा

बिलासपुर। बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड में अवैध निर्माण के मामले में हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने कहा है। मामले में सचिव नगरीय प्रशासन व विकास विभाग, कलेक्टर बिलासपुर और आयुक्त बिलासपुर को नोटिस भी जारी किया गया है। दरअसल वार्ड नंबर 40 निराला नगर पुराना बस स्टैंड के पास रहने वाले श्याम कश्यप ने याचिका पेश की है। इसमें कहा गया है कि राजा होटल के सामने रहने वाले सीरीश पाण्डेय, गिरीश पांडे आशीष पांडेय ने सड़क की भूमि पर अवैध दुकानें बनाकर किराए में दे दिया है। इसमें किसी भी प्रकार का नक्शा पास नहीं है तो निगम से अनुमति भी नहीं ली गई है। साथ ही इस अवैध निर्माण के चलते याचिकाकर्ता को भी अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार पिछले दो सालों से अधिकारियों से कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि नगर निगम के द्वारा खुद संबंधित अतिक्रमण कर्ताओं के राजीनामा के संबंध में प्राप्त आवेदन को निरस्त किया जा चुका है। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले में कहा है कि मामले की जांच की जाए और यदि अतिक्रमण पाया जात है तो उसे हटाने की कार्रवाई की जाए।

जब्त शराब की बोतलों की मात्रा ज्यादा होने की पुष्टि किए बिना आबकारी अधिनियम के तहत गाड़ी जब्त नहीं की जा सकती

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 47-A के तहत गाड़ी को जब्त करने का फैसला इस अनुमान के आधार पर नहीं होना चाहिए कि गाड़ी को जब्त की गई सभी बोतलों में शराब की मात्रा कानूनी सीमा से ज्यादा थी। कोर्ट ने कहा कि जब्त की कार्रवाई करने से पहले संबंधित अधिकारी को भरोसेमंद सबूतों के आधार पर यह पक्का करना होगा कि जब्त किया गया पदार्थ शराब थी और उसकी मात्रा पाँच बल्क लीटर से ज्यादा थी, ऐसा पक्का यकीन ठोस सबूतों के बिना केवल अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता।

यह याचिका सेशंस जज के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी की जब्त रद्द की गई थी। इस गाड़ी को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध के सिलसिले में जब्त किया गया था। इसमें आरोप है कि इसका इस्तेमाल शराब देने के लिए किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक रायपुर की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 47-A के तहत गाड़ी जब्त करने का

पक्का यकीन ठोस सबूतों के बिना केवल अनुमानों पर आधारित नहीं हो सकता

इसलिए कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 47-A के तहत अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। यह तर्क दिया गया कि एक बार जब यह साबित हो गया कि पाँच बल्क लीटर से ज्यादा शराब ढोई जा रही थी तो गाड़ी को जब्त कानूनी परिणाम के तौर पर होनी ही थी।

आदेश दिया। आबकारी आयुक्त ने गाड़ी के मालिक की अपील खारिज की। राज्य सरकार का तर्क था कि गाड़ी में तय सीमा से ज्यादा शराब ढोई जा रही थी, इसलिए कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 47-A के तहत अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल किया। यह तर्क दिया गया कि एक बार जब यह साबित हो गया कि पाँच बल्क लीटर से ज्यादा शराब ढोई जा रही थी तो गाड़ी को जब्त कानूनी परिणाम के तौर पर होनी ही थी।

कानूनी रूप से मान्य सबूतों पर आधारित नहीं

कोर्ट ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष ने देसी शराब, विदेशी शराब और बीयर की कुल 154 बोतलें जब्त करने का दावा किया, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं था, जिससे पता चले कि सभी बोतलों में मौजूद चीज की वैज्ञानिक या रासायनिक जांच की गई। कोर्ट ने पाया कि आबकारी सब-इंस्पेक्टर ने केवल 180 एमप्ल की आठ क्वार्टर बोतलें और 650 एमप्ल की बोतल यानी कुल मिलाकर लगभग 2.09 लीटर शराब की ही जांच की थी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, केमिकल परीक्षक या किसी सक्षम अधिकारी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि बाकी बोतलों में भी शराब ही थी। कोर्ट ने कहा कि बाकी बोतलों की जांच नहीं होने की स्थिति में यह मान लेना कि सभी 154 बोतलों में शराब थी और कुल मात्रा पांच बल्क लीटर से ज्यादा थी, कानूनी रूप से मान्य सबूतों पर आधारित नहीं है।

‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के क्रियान्वयन और प्रवर्तन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने प्रदेश में नए लागू हुए ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के क्रियान्वयन और प्रवर्तन पर एकतरफा अंतरिम रोक लगाने की मांग करने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा केस वापस लेने की अनुमति मांगने पर डिवीजन बेंच ने इसे बिना किसी स्वतंत्रता भविष्य में दोबारा इसी मुद्दे पर याचिका नहीं लगाने की शर्त के वापस माफ़ खारिज कर दिया है। मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डीबी में सुनवाई हुई। याचिका फिलाई (दुर्ग) के हाउसिंग बोर्ड निवासी मोसेस लोगन द्वारा दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि कोर्ट ‘छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026’ के संचालन, प्रारंभ और प्रवर्तन पर पूर्ण रूप से एकतरफा अंतरिम रोक लगा दे। इस नए कानून के लागू होने और इसकी वैधानिकता को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। ध्यान रहे कि इससे पहले भी इसी नए अधिनियम को चुनौती देने

वाली दो अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट के समक्ष आ चुकी हैं।

दो याचिकाएं पहले ही हो चुकी हैं खारिज

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन दोनों याचिकाओं को इसी डिवीजन बेंच ने 24 अप्रैल 2026 और 8 मई 2026 को ‘समयपूर्व’ मानते हुए पहले ही खारिज कर दिया है। राज्य शासन के इस कड़े रुख और पुराने फैसलों के रिकॉर्ड को देखते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमन प्रसाद ने मामले को आगे बढ़ाने के बजाय कोर्ट से इस रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी। महाधिवक्ता ने इस पर अपनी सहमति देते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता केस वापस लेना चाहता है, तो शासन को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के बयानों को दर्ज करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में

कहा है, इस रिट याचिका को बिना किसी आगामी विधिक स्वतंत्रता के वापस लेते हुए खारिज किया जाता है।

1 JULY
NATIONAL
DOCTORS' DAY

Special
सेवा समर्पण अभियान

1 जुलाई से 7 जुलाई 2026 तक

डॉ. सुनील कालड़ा

निःशुल्क OPD परामर्श के साथ

10 प्रकृत्यवादी तरीकों का निःशुल्क ऑपरेशन (Treat & Replace Rightly Say)

KALDA BURN & PLASTIC SURGERY CENTRE

Call: 9827143660, 9371030963 | 9827143660

9827143660

गुर्दे की पथरी का दर्द

सबसे भयानक दर्दों में से एक है। जिसे कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसके लक्षण कारण और उपाय जानने के लिए संपर्क करें

24 Hours Helpline
9926386660

कोटा-गुदियारी रोड़, होटल पिकाडली के पीछे, रायपुर

Ajap 9827144371

(NABH से मान्यता प्राप्त)

सुरेश

हॉस्पिटल

गुर्दे की पथरी का दर्द

सबसे भयानक दर्दों में से एक है। जिसे कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसके लक्षण कारण और उपाय जानने के लिए संपर्क करें

24 Hours Helpline
9926386660

कोटा-गुदियारी रोड़, होटल पिकाडली के पीछे, रायपुर

Ajap 9827144371

24x7 Helpline: 7878977777 | www.drorthooil.com

घुटना दर्द

पीठ दर्द

कंधा दर्द

इत्यादि में सहायक

8 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों से बना डा. ऑर्थो तेल जोड़ों के दर्द को जड़ से कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें।

डा. ऑर्थो पूरा नाम पढ़कर ही खरीदें

Dr. Juneja's

डा. ऑर्थो

Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

SELECTED
NO.1 BRAND
INDIA 2015

मिलते जुलते नामों, विज्ञापन से सावधान

घुटने का दर्द

कंधे का दर्द

कमर का दर्द

कलाई का दर्द

Dr. Ortho

20% EXTRA

Dr. Ortho

20% EXTRA

हरिभूमि कम्यूनिक्शन प्रॉपर्टी लिमिटेड के लिए प्रिंट एवं प्रकाशन चिकित्सक सिंह शिवाजी द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशन, रिंग रोड नं. 2, गोकुलपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495001 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, रिंग रोड नं. 2, गोकुलपुर, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)-495001 से प्रकाशित। प्रधान संपादक : डॉ. हनुमंतु द्विवेदी, स्थानीय संपादक: प्रवीण शुक्ला। RNI No. CHHHIN/2001/03764, फोन : 07752-401050, फैक्स : 07752-401052, e-mail : bilaspur@haribhoomi.com